अध्याय IV

4.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों सी.पी.एस.ई के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में लेखों एवं अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की पद्धति को दर्शाते हैं। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कार्यपालिका के माध्यम से उचित एवं समयबद्ध तरीके से उत्तर प्राप्त हो।

लोक सभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर सभी मंत्रालयों से यह आग्रह किया (जुलाई 1985) कि वह उनके द्वारा की गई उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनिरीक्षित)। उन पैराग्राफों/मूल्यांकनों के संदर्भ में भी ऐसी टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.ओ.पी.यू.) पर समिति द्वारा नहीं चुना गया था। उपरोक्त निर्देशों को दोहराने के साथ सी.ओ.पी.यू. ने उपरोक्त दूसरे प्रतिवेदन में (1998-99 बारहवीं लोक सभा) निम्नलिखित की सिफारिश की:

- प्रत्येक मंत्रालय में निगरानी कक्ष की स्थापना करना ताकि व्यक्तिगत सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संदर्भ में निगरानी हेतु की गई कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन) को प्रस्तुत किया जा सके।

- विभिन्न मंत्रालयों के अंर्तगत आने वाले पी.एस.यू. से संबंधित प्रतिवेदनों के सम्मिलित पैराओं के ए.टी.एन. के प्रस्तुतिकरण की निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग, (डी.पी.ई.) में निगरानी कक्ष स्थापित करना; तथा

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संसद में प्रस्तुत होने वालो सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनिरीक्षित की गई ए.टी.एन. की अनुवर्ती कार्रवाई लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के दिनांक से छ: माह के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाना।

सचिवों की समिति की बैठक में (जून 2010) अगले तीन महीनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा पैरा तथा पी.ए.सी. की सिफारिशों पर लंबित पड़े ए.टी.एन./ए.टी.आर. को विशेष प्रयासों से निपटाए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को सुनाते हुए (जुलाई 2010) वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई में तेजी लाने हेतु संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाई गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के दौरान, सी.ओ.पी.यू. ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000 तेहरवीं लोकसभा) में अपनी पहली सिफारिशों को दोहराते हुए कहा कि डी.पी.ई. में ही डी.पी.ई. को एक पृथक निगरानी कक्ष स्थापित करना चाहिए ताकि व्यक्तिगत उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में सम्मिलित टिप्पणियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखी जा सके। डी.पी.ई. ने सुचित किया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा

ए.टी.एन. की प्रस्तुति के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु पृथक से एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जा चुका था। डी.पी.ई. ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने संबंधित सभी विभागों से जो सी.पी.एस.ई. के अधिकार क्षेत्र में थे, को उनके विभाग में निगरानी कक्ष स्थापित करने का आग्रह किया था।

लेखापरीक्षा समीक्षा में यह उजागर हुआ कि 15 पैराग्राफों के संदर्भ में ए.टी.एन. जो कि रक्षा पी.एस.यू. से संबंधित थे, मार्च 2017 तक लंबित पड़े हुए थे **(अनुलग्नक-IV)** जिनमें से 4 पैराग्राफों के ए.टी.एन. प्राप्त ही नहीं हुए थे **(अनुलग्नक-V)**।

नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2017

(नंद किशोर)
उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2017

(शशी कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक